

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 7(2)DME / Acad / 2013

जयपुर, दिनांक : 13 0 APR 2020

-: आदेश :-

COVID-19 महामारी के दृष्टिगत पी.जी.एवं डिप्लोमा छात्रों के नवीन बैच के माह मई 2020 तक चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की संभावना नहीं है। अतः निम्नांकित चिकित्सा महाविद्यालयों में उनके नाम के सम्मुख कार्यरत अंतिम वर्ष के पीजी एवं डिप्लोमा के 989 छात्रों की सेवाएँ निरंतर माह मई 2020 तक रखे जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	छात्र संख्या
1.	चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	376
2.	चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	106
3.	चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	128
4.	चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	90
5.	चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	136
6.	चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	95
7.	चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड	58
	कुल योग	989

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102001888 दिनांक 30.04.2020 से प्राप्त सैद्धान्तिक सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से

30/4/2020
(सुनील शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा/अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त हेतु कुल राशि रुपये 7.66 करोड का व्यय उपलब्ध बजट प्रावधान से आपके प्रस्ताव अनुसार तत्संबंधी नियम एवं विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1/बजट) विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/झालावाड।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

30.04.2020
(रमेश चन्द्र आर्य)
शासन उप सचिव

o/c